

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 279] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 22, 1978/भाद्र 31, 1900
No. 279] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 22, 1978/BHADRA 31, 1900

इस भाग में सिर्फ पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

**Separate paging is given to this part in order that it may be filed
as a separate compilation.**

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1978

सा० का० नि० 470(घ) :—खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ड) के साथ पठित उप-धारा (2) और खाद्य निगम नियम, 1965 के नियम 3 के उप-नियम (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री राजा राम चौधरी को डा० सी० एच० अनुमंत राय के स्थान पर, उक्त अधिनियम के अधीन स्थापित भारतीय खाद्य निगम के निवेशक बोर्ड में एतद्वारा नियुक्त करती है और निदेश देती है कि भारत सरकार के भूतपूर्व खाद्य तथा कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 37 तारीख 2 जनवरी, 1965 में निम्नलिखित और संशोधन किया जाए, प्रतीति :—

उक्त अधिसूचना में,—

प्रविष्टि 11 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“(11) श्री राजा राम चौधरी, दयालपुर, पोस्ट बाक्स वाल्टरगंज, जिला बस्ती (उ० प्र०)”

[सं० का 4-6/78-एफ सी-1]
के० सी० एस० आचार्य, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION
(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 1978

G.S.R. 470(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2), read with clause (c) of sub-section (1) of section 7 of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964), and sub-rule (3) of rule 3 of the Food Corporations Rules, 1965, the Central Government hereby appoints Shri Raja Ram Chaudhary on the Board of Directors of the Food Corporation of India, established under the said Act, in place of Dr. C. H. Hanumantha Rao and directs that the following further amendments shall be made in the notification of the Government of India in the late Ministry of Food and Agriculture (Department of Food) No. G.S.R. 37, dated the 2nd January, 1965, namely:—

In the said notification for entry 11, the following entry shall be substituted, namely:—

“11. Shri Raja Ram Chaudhary, Dayalpur, P. O. Walterganj, District Basti (U.P.).”

[F. No. 4-6/78/FC-I]
K. C. S. ACHARYA, Joint Secy.